संशोधित पत्र

संख्या-05/2017/24/38-6-16-07(एसआरएलएम)/2016

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ, दिनांक-06 जनवरी, 2017**

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त के सापेक्ष केवल मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-02/2017/914(2)/38-6-16-07(एसआरएलएम)/16, दि0-04.01.2017 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त के सापेक्ष अनुदान सं0-83(अनुसूचित जाति मद) के अन्तर्गत मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0-1,83,74,133/-(रूपये एक करोड तिरासी लाख चौहत्तर हजार एक सौ तैंतीस मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त पत्र के प्रस्तर-3 में त्रुटिवश अनुसूचित जाति मद के लेखाशीर्षक के स्थान पर अनुसूचित जनजाति मद का निम्न लेखाशीर्षक अंकित हो गया है:-

लेखा शीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजातिय उपक्षेत्र योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी"

जबकि अनुसूचित जाति मद का लेखाशीर्षक निम्नवत है:-

लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी"

2- अत: शासनादेश संख्या-02/2017/914(2)/38-6-16-07(एसआरएलएम)/16, दि0-04.01.2017 के प्रस्तर-3 में लेखाशीर्षक को संशोधनोपरान्त निम्नानुसार पढा जाए:-

लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी"

http://shasanadesh.up.nic.in

3- पूर्व निर्गत शासनादेश सं0-02/2017/914(2)/38-6-16-07(एसआरएलएम)/16, दि0-04.01.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश के शेष प्रस्तर यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-05/2017/24(1)/38-6-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, 9वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी (द्वारा यूपीएसआरएलएम)
6- मिशन निदेश, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- श्री टी.सी. नौटियाल, उपसचिव(आरएल), ग्रामीण विकास मंत्रालय, 6वां तल होटल सम्राट, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली।
8- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
11- राज्य योजना आयोग-1/2
12- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in